01/05

T-S-54/2017

02-01-25

अधिवक्ता निधन के कारण अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से अलग रहे।

दिनांक 27-2-25 वास्ते सुनवाई।

05.07.24 O-22 R-10(a) allowed — fix and defent evidence and for firm Requests.

न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–54 / 2017

राम वरण चौधरी वगैरह................................वादीगण

बनाम

शंकर राय वगैरह..प्रतिवादीगण

27.02.25 अभिलेख आज वादी की ओर से दिवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक–05.07.2024 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति दर्ज की गई है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद के प्रतिवादी सं0–2 मो0 सितिया देवी की मृत्यु दिनांक–11.06.2024 को हो गई है जो अपने पीछे तीन पुत्री क्रमशः अहिल्या देवी, आशा देवी एवं गनीता देवी को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए हैं जिसकी सूचना प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 22 नियम 10'ए' के अंतर्गत दिनांक–05.07.2024 को दी गई। मृत प्रतिवादी सं0–2 का नाम वादपत्र से विलोपित उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त प्रतिस्थापन आवेदन को स्वीकृत करते हुए वादपत्र से प्रतिवादी सं0–2 का नाम वादपत्र से विलोपित कर उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु लंबित है तथा मृत प्रतिवादी सं0–2 मो0 सितिया देवी आवश्यक पक्षकार हैं जिनके विधिक उत्तराधिकारीगण का नाम उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है तथा प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में अनापत्ति दर्ज है। अतः वादी द्वारा दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। **कार्यालय आवेदनांकित मृत प्रतिवादी सं0–2 सितिया देवी का नाम वादपत्र से विलोपति कर उनके स्थान पर उनके वारिसानों को उनके सही–सही पता सहित प्रतिस्थापित करें तथा वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु सम्मन का आपेक्ष दाखिल करें एवं प्रतिवादी अपना साक्ष्य अविलंब प्रस्तुत करें।**

वाद दिनांक– 01-05-2025 वास्ते करने दाखिल सम्मन का आपेक्ष वादी की ओर से एवं प्रतिवादी साक्ष्य हेतु।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।